निग०प्र०क्र० -   /2014

1- किशन सिंह वल्द स्व० छन्नूलाल यादव

2- द्वारका वल्द किशन सिंह यादव

3- अटल सिंह वल्द किशन सिंह यादव

समस्त निवासी ग्राम बमूरा तह० राहतगढ़ जिला सागर — निगरानीकर्तागण

// विरूद्ध //

1- श्रीमति गोपी बाई पत्नि स्व० छन्नूलाल यादव

2- श्रीमति रामसुंदरी पुत्री स्व० छन्नूलाल यादव

निवासी ग्राम बमूरा तह० राहतगढ़ जिला सागर

3- श्रीमति कस्तूरीबाई पत्नि बारेलाल पुत्री स्व० छन्नूलाल यादव

निवासी ग्राम चौपरा तह० खुरई जिला सागर — प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा० संहिता

अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर द्वारा

अपील प्र० क्र० 21 अ/6वर्ष 13-14 मे पारित आदेश दिनांक 15/10/14 के विरूद्ध

निगरानीकर्तागण निम्नांकित याचिका प्रस्तुत करते है :-

1- यह कि अधि० न्यायालयके आदेश दिनांक 15/10/14 से निगरानी याचिका समय अवधि मे प्रस्तुत की जा रही है अधि० न्यायालय के मूल आदेश संलग्न है ।

// संक्षिप्त तथ्य //

2- यह कि उभय पक्षो के पिता एवं दादा स्व० छ न्नू लाल के द्वारा

(5)

किशन सिंह आदि विरूद्ध श्रीमती गोपी बाई आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3869 –एक/14 जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–11–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा समयावधि के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने उभयपक्षों को सुनने के उपरांत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को स्वीकार किया गया है । विलंब को क्षमा करना अधीनस्थ न्यायालय के विवेक में आता है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विवेकाधिकार का उपयोग अन्यायिक तरीके से किया गया है यह सिद्ध करने का भार विपक्षी पर होता है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई कारण नहीं बताए गए हैं जिनके आधार पर आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जाये । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	

पिता एवं दादा स्व0 ब ... न्यायालय